BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

OA No.237of 2025

In the matter of:

Narender Kumar

...Applicant

Versus

State of Haryana & Ors.

...Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	**REPLY BY NARESH KUMAR RANGA, IFS DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST. PALWAL (ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 10)**	1-4
2.	**ANNEXURE R-1** Copy of the letter no. 1167 dated 15.05.2024	5-6
3.	**ANNEXURE R-2** Copy of the report no. 413 dated 21.06.2024	7-9
4.	**ANNEXURE R-3** Copy of the letter no. 1364 dated 25.06.2024	10
5.	**ANNEXURE R-4** Copy of complaint dated 07.10.2024	11-13
6.	**ANNEXURE R-5** Copy of the letter no. 1117 dated 14.11.2024	14-15
7.	**ANNEXURE R-6** Copy of letter no. 3422 dated 29.11.2024	16

18.12.2025
New Delhi

Filed by

Rkhurana

Rahul Khurana Adv
Counsel for Deputy Conservator of Forest
9811894060
rkhuranalegal@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

OA No.237of 2025

In the matter of:

Narender Kumar

...Applicant

Versus

State of Haryana & Ors.

...Respondents

REPLY BY NARESH KUMAR RANGA, IFS DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST. PALWAL (ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 10)

1. That answering respondent is posted as Deputy Conservator of Forest at District Palwal, Haryana and competent officer to file this reply before the Hon'ble tribunal.

2. That answering respondent has received a letter no. 1167 dated 15.05.2024 from the office of Block Development & Panchayat Officer, Prithla, in regard request for felling of trees (copy of the letter no. 1167 dated 15.05.2024 enclosed as **(Annexure- R-1)** . After receiving the above said letter answering respondent has called a detailed report from Range Forest Officer, Palwal, thereafter vide letter no. 413 dated 21.06.2024 Range Forest Officer, Palwal has submit his report that the land mentioned in the Annexure- R1 does not came in the Jurisdiction of answering respondent and the land and trees in questions are falls in the jurisdiction of Gram Panchayat and does not related to be answering respondent (copy of the report no. 413 dated 21.06.2024 enclosed as **(Annexure- R-2)**

3. That on the request of Block Development & Paychayat Officer, Prithla answering respondent has access the value of Rs. 46407/- for 43 trees situated on the land mentioned in the letter no. 1364 dated 25.06.2024 and clearly mentioned that the answering respondent not permitting for felling of trees (copy of the letter no. 1364 dated 25.06.2024 enclosed as **Annexure- R-3)**
4. That Sh. Rakesh Kumar has filed a complaint dated 7.10.2024 in the office of answering respondent in regard felling of trees (copy of complaint dated 07.10.2024 enclosed herewith as **Annexure- R-4),** after receiving the complaint answering respondent has called detailed report from Range Forest Officer and the said officer has submit his report vide letter no. 1117 dated 14.11.2024, in which Range Forest Officer, Palwal clearly mentioned that the land in which the trees were situated falls in Panchayat land and does not falls in Forest Area and no provision of PLPA Act 1900 applicable on the land mentioned in the above said complaint (copy of the letter no. 1117 dated 14.11.2024 enclosed herewith as **Annexure- R-5.** In this regard answering respondent has intimated to Block Development & Panchayat Officer, Prithla (copy of letter no. 3422 dated 29.11.2024 enclosed as **Annexure- R-6.**
5. That the present complaint against the answering respondent is not maintainable in the present from.
6. That no cause of action arise to file the present complaint against the answering respondent.
7. That the present complaint is mis-joinder and bad-joinder of necessary parties.

In view of the submission made herein above, it is humbly prayed that the present OA may kindly be dismissed qua the answering respondents.

Dated: 18.12.2025

Place: Palwal

(Naresh Kumar Ranga, IFS)
Deputy Conservator of Forest
Forest Division, Palwal
(RESPONDENT NO. 10)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 237 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Narender kumar

...Applicant

Versus

State of Haryana & Others

...Respondents

AFFIDAVIT

I, Naresh Kumar Ranga, IFS., Deputy Conservator of Forests, Palwal do hereby solemnly affirm and state as under :-

1. That in the aforesaid official capacity, I am well conversant with the facts and circumstances of the case, therefore, I am competent to swear this affidavit.

2. That I have gone through the contents of accompanying reply which has been drafted under my instructions.

3. That Annexures are true copy of their originals.

NOTARY PUBLIC
NARAIN SINGH
Advocate
Area Palwal (HR)
Reg. No. 40152
Appointed By Govt. of India

Register Entry No. 1567
Dated 18-12-2025

Deponent

VERIFICATION:-

Verified at Palwal on 18th day of December, 2025 that the contents of affidavit are true and correct to my knowledge and on the basis of information derived from the official record which I believe to be true and no material fact has been concealed therein.

ATTESTED
NOTARY PALWAL(HR)
18 DEC 2025
NARAIN SINGH (Adv.)
Regd.No.40152
GOVT. OF INDIA

Deponent

Mob. : 98...0902

सरपंच
ग्राम पंचायत, पृथला

गाँव-पृथला, खण्ड- पृथला, तह० व जिला- पलवल- 121102

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ   एक कदम स्वच्छता की ओर

नकल प्रस्ताव -01

क्रमांक 01   दिनांक 16/04/…

प्र० 1 यह है कि सरपंच महोदय ने हाजिर पंचों के सामने बताया कि ग्राम पंचायत की शामलात भूमि में कुछ साल पहले लगाए 150 पेड़ सफेदा कीकर के खड़े हुए हैं जिस कारण पर पंचायत को [illegible] करने में बहुत परेशानी होती है इसलिए ग्राम पंचायत उपरोक्त सभी पेड़ों को कटवाने की परमिशन लेने पर विचार करें।

बाद सोच विचार हाजिर पंचों ने सर्वसम्मति से [illegible] लिया कि उपरोक्त सभी पेड़ों को कटवाने की परमिशन ली जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। नकल प्रस्ताव श्रीमान B.D.P.O. साहब [illegible] की मार्फत श्रीमान उपायुक्त महोदय पलवल की सेवा में प्रेषित हो।

हस्ताक्षर सरपंच

केदराम पंच   कविता पंच   हस्ताक्षर पंच

हस्ताक्षर पंच   हस्ताक्षर   हस्ताक्षर   हस्ताक्षर पंच

हस्ताक्षर पंच   [illegible] पंच

नकल मुताबिक असल है

हस्ताक्षर

सरपंच
ग्राम पंचायत पृथला
खण्ड पृथला जिला पलवल

559
16/05/24

क्रमांक - 41 दिनांक : 02-05-2024

मूलरूप में नकल प्रस्ताव न० 1 दिनांक 16-04-2024 ग्राम पंचायत पृथला में पेड़ों के मूल्यांकन करने हेतु वन विभाग पलवल को सेवा प्रेषित है।

Block Dev. & Panchayat Officer
Prithla

कार्यालय DDPO Palwal

क्रमांक 1167 दि. दिनांक 15.05.2024

एक प्रति उप-वन संरक्षक पलवल की सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल

पृ० क्रमांक: 757 दिनांक: 17/05/24

एक प्रति व० रा० अ० पलवल को सूचनार्थ एवं नियमानुसार कार्यवाही करने उपरान्त शीघ्र इस कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित है।

Dy. Conservator of Forests
PALWAL
16-5-024

वन विभाग, हरियाणा सरकार

ANNEXURE R-2

कार्यालय:- वन राजिक अधिकारी, पलवल
भंगूरी रजवाह, निकट ज़वाहर नगर, कैम्प पलवल-121102, Email: rfopalwal@gmail.com

क्रमांक: 413 दिनांक: 21/6/024

सेवा में

उप वन संरक्षक
पलवल

विषय: ग्राम पंचायत पृथला नक़ल प्रस्ताव न० 01 दिनांक 16.04.2024.

सन्दर्भ: जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पलवल का पत्रांक 1167 दिनांक 15.05.2024.

****

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भांकित पत्र द्वारा मांगी गई सूचना बिन्दु अनुसार निम्नप्रकार से है:-

1. ग्राम पंचायत पृथला पंचायती जमीन को पट्टे पर छोड़ना चाहती है जिसमें 43 वृक्ष बाधक है | ग्राम पंचायत पृथला इन पेड़ों को कटवाना चाहती है |
2. सम्बंधित वृक्षों पर मालिकाना हक़ ग्राम पंचायत पृथला का है |
3. सम्बंधित वृक्ष नम्बरशुदा नहीं है |
4. तैयार की गई मार्किंग सूची में वन विभाग द्वारा कराये गए पौधारोपण के वृक्ष शामिल नहीं है तथा उक्त स्थान पर विभाग द्वारा पौधारोपण नहीं करवाया गया है |
5. उक्त स्थल NCZ में नहीं है |
6. इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है |
7. उक्त पेड़ों पर पक्षियों का घोंसला देखने में नहीं आया है |
8. ग्राम पंचायत पृथला पंचायती जमीन को पट्टे पर छोड़ना चाहती है जिसमें 43 वृक्ष बाधक है | ग्राम पंचायत पृथला इन पेड़ों को कटवाना चाहती है |

रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित है |

संलग्न/बाधक वृक्षों की मार्किंग सूची

Amardeep
वन राजिक अधिकारी
पलवल

857
21/06/24

21/6/24

आरक्षित कृषि ग्राम पंचायत पन्नीवाला में पंचायती कृषि में खड़े वृक्षों की। पन्नीवाला बीद, पन्नीवाला मोटा, पन्नीवाला रुलदू

Sr.	Species	Girth	Class	Vol.	Condition of tree
1	Neem	105	III	0.57	S/D
2	—	107	III	0.57	—
3	—	104	III	0.57	—
4	—	115	III	0.57	—
5	—	105	III	0.57	—
6	—	115	III	0.57	—
7	—	112	III	0.57	—
8	—	107	III	0.57	—
9	—	130	IIA	1.13	—
10	—	118	III	0.57	—
11	—	185	IIA	2.83	—
12	—	128	IIA	1.13	—
13	—	149	IIA	1.13	—
14	—	130	IIA	1.13	—
15	—	113	III	0.57	—
16	—	158	IIB	1.98	—
17	Jand	95	III	0.57	—
18	Neem	145	IIA	1.13	—
19	Jand	118	III	0.57	—
20	Neem	157	IIB	1.98	—
21	—	105	III	0.57	—
22	—	118	III	0.57	—
23	Jaal	220	IIB	3.53	—
24	Neem	149	IIA	1.13	—
25	—	138	IIA	1.13	—
26	—	97	III	0.57	—
27	Beri	100	III	0.57	—
28	Neem	101	III	0.57	—
29	Jand	102	III	0.57	—

SR	Species	Girth	Class	Vol.	Condition of tree
30	Neem	140	IIA	1.12	SD
31	—	111	III	0.37	—
32	—	92	III	0.37	—
33	—	94	III	0.37	—
34	Jand	160	IIB	1.98	—
35	Neem	115	III	0.37	—
36	—	118	III	0.37	—
37	—	115	III	0.37	—
38	—	103	III	0.37	—
39	—	109	III	0.37	—
40	—	115	III	0.37	—
41	—	118	III	0.37	—
42	—	115	III	0.37	—
43	—	127	IIA	0.37	—

ABSTRACT

Species	III	IIA	IIB	IA	IB	Total	Vol.
Misc.	29	9	3	1	1	43	39.01
Total	29	9	3	1	1	43	39.01 m³

Yadav

श्रीमान जी यह मार्किंग भूमि मौके पर जाकर ग्राम पंचायत [illegible] प्रधान के सरपंच के प्रतिनिधि को साथ लेकर करवाई गई है इस भूमि में पेड़ हरे अतिक्रमित किए है जो सरपंच प्रतिनिधि द्वारा बताए गए है [illegible] की रिपोर्ट [illegible] प्रस्तुत है

Yadav
I/C Palwal Block

Satender

Colleague RO
Palwal Beat

C/S
Amardeep

ANNEXURE R-3

वन विभाग हरियाणा सरकार
कार्यालयः उप वन संरक्षक, पलवल
भंगूरी रजवाह, निकट जवाहर नगर, कैम्प पलवल–121102
दूरभाष नं0 01275–248978 email – dfopalwal@gmail.com

क्रमांकः 1364 दिनाँकः 25/06/2024

सेवा में,

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
पलवल।

विषयः ग्राम पंचायत पृथला का नगल प्रस्ताव नं0 1 दिनांक 16.04.2024

संदर्भः आपके कार्यालय का पत्र कमांक 1167/पंचायत दिनांक 15.05.2024 R-133

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वन राजिक अधिकारी, पलवल के पत्र कमांक 413 दिनांक 21.06.2024 द्वारा प्राप्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत पृथला की पंचायत भूमि में हरे खड़े 43 विविध प्रजाति के वृक्षों की कीमत निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है :– R-127

ABSTRACT

Species	U/S.	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	Total	Vol. M^3
Euc.	0	0	0	29	9	3	1	1	43	39.01
Total	**0**	**0**	**0**	**29**	**9**	**3**	**1**	**1**	**43**	**39.01**

उपरोक्त वृक्षों की अनुमानित कीमत 46407/–रू0 (छियालीस हजार चार सौ सात रूपये केवल) निर्धारित की जाती है। इसे कटाई की स्वीकृति ना समझा जाये। कटाई की स्वीकृति बारे कार्यवाही सरकार की हिदायतों अनुसार कृपया आप अपने स्तर पर करने का कष्ट करें।

उप वन संरक्षक,
पलवल।
24-6-2024

पृ0 कमांक 1365 दिनांक 25/06/24

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, पलवल को उनके पत्र कमांक 413 दिनांक 21.06.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
पलवल।
24/6/2024
24-6-2024

सेवा में श्रीमान वन विभाग महोदय
पलवल हरियाणा

विषयः- **दरखास्त बराये किये जाने क़ानूनी कार्यवाही बरखिलाफ दोषीगण नं०1.सतेन्द्र कटारिया सरपंच, 2.संजीव कुमार, सचिव ग्राम पंचायत पृथला, तहसील व जिला पलवल, 3.पेड़ काटने वाला ठेकेदार के बारे में।**

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं, प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र श्री रोहताश, निवासी गाँव पृथला, तहसील व जिला पलवल का रहने वाला हूँ तथा मौजूदा पंचायत में वार्ड नं० 1 से पंचायत मेम्बर हूँ और हमारे गाँव पृथला में पंचायत की भूड वाली जमीन पर डंपिंग यार्ड बनने के लिए पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ और उक्त जमीन पर खड़े हरे पेड़ काटने के लिए पंचायत द्वारा ब्लाक कार्यालय पृथला के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय, पलवल व वन विभाग पलवल द्वारा 43 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी लेकिन सतेन्द्र कटारिया सरपंच व संजीव कुमार सचिव द्वारा आपसी मिली-भगत करके व अपने पद का दुरप्रयोग करके पेड़ काटने वाले ठेकेदार के साथ मिलकर पेड़ों की मार्किंग किये बिना 68 हरे पेड़ों को काट दिया और जिससे गाँव में प्रर्यावरण को नुकसान पहुँचाया और पंचायत व सरकार को ठेकेदार से मिलकर अधिक पेड़ काटकर अपने निजी फायदे के लिए आर्थिक नुकसान पहुँचाया और जब मैंने इस बारे में सरपंच सतेन्द्र कटारिया व सचिव संजीव कुमार से मिला और पेड़ काटने के बारे में अनुमति पत्र माँगा तो उन्होंने

Sale
9-10-24

2039
09-10-24

md

पत्र दिखाने से इंकार कर दिया और जब मैंने अधिक पेड़ काटने का विरोध किया तो कहने लगे कि यदि तुमने हमारे काम में दखलंदाज़ी की तो उसका अंजाम बुरा होगा | तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कहने लगे कि हम पेड़ों की जड़ों को भी जे०सी०बी० मशीन द्वारा उखाडकर सबूत मिटा देंगे और तुम हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे |

अत: जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त दोषीगण के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करके क़ानूनी कार्यवाही की जाये और मौके पर जाकर प्रार्थी व ग्रामीणों की मौजूदगी में कटे हुए पेड़ों की जाँच की जाए और पेड़ों की जड़ों को उखाड़ने से रोका जाए | आपकी अति मेहरबानी होगी |

नोट:- कटे हुए पेड़ों के फोटो व विडियो मैं जरुरत पड़ने पर देने के लिए तैयार हूँ |

Range officer to conduct the enquiry and submit report with in week

दिनांक: 07.10.2024

ग्रामीण

प्रार्थी

राकेश कुमार पुत्र श्री रोहताश, निवासी गाँव पृथला, तहसील व जिला पलवल |
मोबाइल नं० 9991556553 |

उमेद सिंह लम्बरदार
गाँव व पोस्ट – पृथला
त० व जिला – पलवल

Umed Singh ... Jaiveer Singh ... Joginder Singh ... Sumit ... Vikash ... Hetlal ... Gaurav ... Prem

P.T.O

क्र० - 2884 दिनांक - 09-10-024

एक प्रति व० र० अधिकारी, पलवल को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Divisional Forest Officer
PALWAL

ANNEXURE R-5

सेवा में

वन राजिक अधिकारी
पलवल। Link Page — 55-57, 89

विषय: मौका-मुआयना रिपोर्ट दरख्वास्त बाबत किए जाने कानूनी कार्यवाही बरखिलाफ दोषीगण नं. 1. सतेन्द्र कटारिया, सरपंच, 2. संजीव कुमार, ग्राम सचिव ग्राम पंचायत पृथला, तहसील व जिला पलवल के द्वारा पेड़ काटने बाबत हैदराबाद से बाहर

12/11/2024-P-89

~~संदर्भ :- व.म. अ० पलवल~~ के पत्रांक ~~3201~~ दिनांक 09/10/2024 (पत्रांक 2884 → P-55-57)

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भांकित पत्र बारे आपको अवगत करवाया जाता है कि व० म० कार्यालय पलवल के पत्र क्रमांक 7537 dt 11/5/2023 की अनुपालना में ग्राम पंचायत पृथला की पंचायत भूमि में खड़े पेड़ों की नीलामी भूमि सरपंच प्रतिनिधि के साथ करवाई गई थी तथा उसकी रिपोर्ट रेंज कार्यालय पलवल के पत्र क्रमांक 943 दिनांक 31/5/2023 द्वारा मण्डल कार्यालय को भेज दी गई थी। उक्त प्रस्ताव में रेंज स्तर पर केवल स्टाफ गए बाबत वृक्षों की नीलामी सूचि की रिपोर्ट मण्डल कार्यालय को भेजी गई है। वृक्षों की कीमत मण्डल कार्यालय से लगाई जाती है और अगर पंचायत नीलामी सूची से अधिक वृक्ष कटते हैं तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित पंचायत व पंचायत विभाग की बनती है। उक्त स्थान वन भूमि नहीं है और न ही उक्त क्षेत्र में PLPA 1900 की धारा 4,5 लागू होती है इसलिए उक्त case में वन विभाग की कोई कार्यवाही नहीं बनती। रिपोर्ट आपकी सेवा में पेश है।

Sd/-
18/11/24

TBS
(D/c Palwal Block)

भवदीय
Collect
D/c
Palwal Beat

2350
18.11.24

P.T.O.

No 1117 Dt 14/11/2024
To DCF Pwl,

मौका वन रक्षक व खण्ड प्रभारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मूलरूप में उप वन संरक्षक पलवल को अग्रसर करते हुए लिखा जाता है कि रेंज कार्यालय के पत्रांक 413 दि० 21-06-2024 द्वारा प्रभता गांव के प्रस्ताव के संबंध में मण्डल कार्यालय पलवल को रिपोर्ट भेजी गई थी। उक्त प्रस्ताव में मार्किंग सूची बनाकर मण्डल कार्यालय को भेज दी गई थी। मार्किंग सूची में लिये गये वृक्षों की कीमत मण्डल कार्यालय से लगाई जाती है तथा आगामी आवश्यक कार्यवाही भी मण्डल स्तर पर की जाती है। अगर तैयार की गई मार्किंग सूची से ज्यादा मौके पर वृक्ष काटे जाते हैं तो इसके लिए संबंधित पंचायत व पंचायत विभाग की जिम्मेवारी बनती है। उक्त क्षेत्र वन भूमि नहीं है तथा उक्त स्थल पर PLPA 1900 की धारा 4,5 लागू नहीं होती इसलिए विभाग द्वारा उक्त मामले में कोई कार्यवाही शेष नहीं बनती।

Amardeep

Range Forest Officer
PALWAL

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :उप वन संरक्षक, पलवल

भंगूरी रजवाह, निकट जवाहर नगर, कैम्प पलवल121102-

दूरभाष नं० 248978-01275 E-mail :– dfopalwal@gmail.com

क्रमांक 3422 दिनांक 29-11-024

सेवा में,

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
पृथला।

विषय : **मौका मुआयना रिपोर्ट दरखास्त बराये किये जाने क़ानूनी कार्यवाही बर खिलाफ दोषी गण न० 1 सतेंदर कटारिया सरपंच 2. संजीव कुमार, सचिव ग्राम पंचायत पृथला, तहसील व जिला पलवल 3. पेड़ काटने वाला ठेकेदार के बारे में।**

सन्दर्भ:- **आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 1192 दिनांक 11.11.2024**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भांकित पत्र के निरन्तर में वन राजिक अधिकारी पलवल के पत्र क्रमांक 1117 दिनांक 14.11.2024 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत पृथला की पंचायत भूमि में खड़े 43 पेड़ो की मार्किंग सूची तैयार करके मण्डल कार्यालय को भेजी गई थी तथा इस सूची में शामिल पेड़ो का मूल्यांकन कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1364 दिनांक 25.06.2024 द्वारा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पलवल को भेज दिया गया था। यदि पंचायत भूमि में मूल्यांकन किए गए पेड़ो से अधिक पेड़ काटे जाते है तो इस पर आपके विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी बनती है। वन विभाग द्वारा पंचायत भूमि में खड़े पेड़ो की केवल कीमत निर्धारित की जाती है आगे की कार्यवाही जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी /उपायुक्त कार्यालय पलवल द्वारा की जाती है। यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न/उपरोक्त।

उप वन संरक्षक,
पलवल
29/11/24

पृ0 क्रमांक 3423 दिनांक 29-11-024

एक प्रति श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रोहताश, गाँव- पृथला, तहसील व जिला- पलवल Mob.9991556553 को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
पलवल
29/11/24